दिनांकः **20.01.2026**

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2025 को वादी नौशाद पुत्र श्री इदरीश निवासी चाउ सहदपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहारीर बाबत अभियुक्तगण 1.नुरहसन पुत्र ईशाक 2. जीशान पुत्र नूरहसन निवासीगण ग्राम तिगरी रांमगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर व अन्य 07 द्वारा वादी के भतीजे के साथ धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से हमला कर देना जिसमें वादी का पुत्र व भतीजे को गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0स0- 538/2025 धारा 191(2),191(3),131,115(2),118(1),351(3),109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण ***1. नुरहसन पुत्र ईशाक 2. जीशान पुत्र नूरहसन निवासीगण ग्राम तिगरी रामगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम तिगरी रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. *नुरहसन पुत्र ईशाक निवासी ग्राम तिगरी रांमगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।*
2. *जीशान पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम तिगरी रांमगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री अजित कुमार थाना नकुड सहारनपुर।*
3. *है0का0 923 प्रविन्द्र कुमार थाना नकुड सहारनपुर।*
4. *का0 1890 मोन्टी कुंमार थाना नकुड सहारनपुर।*

दिनांकः 20.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 17900/- रूपये नकद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः-

दिनाँक 19.01.2026 को वादी श्री शौकीन पुत्र जमील निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत गांगरो नदी पुल से पहले पीछे से 03 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा वादी की जेब में रखे 50,000 रुपये छिनकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 38/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्रातिशीघ्र अनावरण कर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.01.2026 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण ***1-भूपेन्द्र पुत्र ताराचन्द नि0 मोहल्ला बड़ी माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2- तरुण पुत्र सूरज निवासी मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को बेलका नहर पुल के पास कच्ची पटरी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त लूटे गये 17900/- रू0 नगद व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 नं0 UP11CF2643 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रंग काला बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1- भूपेन्द्र पुत्र ताराचन्द नि0 मोहल्ला बड़ी माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2- तरुण पुत्र सूरज निवासी मोहल्ला बाल्मीकि बस्ती कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त भूपेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 293/24 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/191(2)333/351(2)/352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 91/2025 धारा 103(1)/115(2)/238/351(3)352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- *17900 रू0 नगद*
- *घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 करन नागर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 महेशचन्द थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
4. उ0नि0 अरविन्द तोमर थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
5. है0कां0 1058 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
6. कां0 1802 बिट्टू कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।
7. कां0 94 संदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।

दिनांकः 20.01.2026

-प्रेस नोट-

यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

जनपद सहारनपुर शहर क्षेत्र में जाम की समस्या के निराकरण हेतु शहर क्षेत्र में संचालित ई–रिक्शा वाहनों को अलग–अलग रंग देकर कलर कोडिंग की व्यवस्था करते हुये उनके मार्गों का रूट निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार शहर क्षेत्र में ई–रिक्शा वाहनों का संचालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे ई–रिक्शा वाहन, जो यातायात नियमों का उल्लघन करते है अथवा बिना रूट के संचालित होना पाया जाता है, उनके विरूद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है, जिसके अन्तर्गत अभी तक 25214 ई–रिक्शा/ऑटो चालान करते हुये 4 करोड 22 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है तथा 488 वाहन सीज किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त सभी ई–रिक्शा/ऑटो चालकों से निम्न अपील की जाती है:–

- अपने ई–रिक्शा वाहन को आवंटित रूट पर ही चलाये तथा रूट संख्या का विवरण पेन्ट के माध्यम से ई–रिक्शा के आगे तथा पीछे स्पष्ट रूप से लिखवाये।
- अपने ई–रिक्शा/ऑटो वाहन पर चालक का नाम, मोबाईल नम्बर व पता अवश्य अंकित करायें।
- दुर्घटना से बचने हेतु अपने ई–रिक्शा/ऑटो के दाहिनी साइड की डाला/खिड़की स्थायी रूप से बन्द करायें।
- सभी ई–रिक्शा/ऑटो चालक यह सुनिश्चित करें कि अपने वाहन में क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें।

इसके अतिरिक्त सभी ऑटो/ई–रिक्शा वाहन चालकों को निर्देशित किया जाता है कि नो वेन्डिंग जोन के चौराहों/तिराहो पर अपने वाहनों को खड़े न करें अन्यथा उनके विरूद्ध प्रभावी चालानी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में यातायात पुलिस द्वारा निरन्तर अभियान चलाकर नो वेन्डिंग जोन में खड़े वाहनों पर व्हील क्लेम्प लगाकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 114 वाहनों में व्हील क्लैम्प लॉक लगाते हुये 210 वाहनों के नो पार्किंग की धारा के अन्तर्गत चालान किये गये।

''आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व''

दिनांक: 20.01.2025

-प्रेस नोट-

-सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही-

थाना सरसावा पुलिस व एसडीएम सदर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ओवरलोड रेत व बजरी से भरे, बिना प्रपत्र के 02 डम्पर किये गये सीज

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के *निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एसडीएम सदर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष* ***श्री प्रवेश कुमार*** *व* ***राजस्व टीम*** *के कुशल नेतृत्व में दिनांक* ***20.01.2026*** *की रात्रि मे को चौकी शांहजहापुर में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान थाना सरसावा पुलिस व एवं एसडीएम सदर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा* ***02 डम्परो*** *को चेक किया गया जो* ***ओवरलोड रेत व बजरी से भरे, बिना किसी वैध प्रपत्र के परिवहन कर रहे थे।*** *उक्त वाहनों को नियमानुसार* ***सीज*** *किया गया है।*

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

सीज किये गये वाहनो का विवरण –

1. *वाहन डम्फर रजि0 UK 08 CV 4553*
2. *वाहन डम्फर रजि0 HR 55 AP 1096*

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. *श्री सुबोध कुमार एसडीएम सदर, जनपद सहारनपुर ।*
2. *श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा, मय पुलिस टीम सहारनपुर ।*
3. *राजस्व टीम जनपद सहारनपुर ।*

दिनांक: 20.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.01.2026 को वादी राजबीर उर्फ छोटा पुत्र मुन्शी निवासी तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सुभाष पुत्र कालूराम 2. मोनू पुत्र सुभाष 3. सोनू पुत्र सुभाष 4. राजा पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपु द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी के साथ मारपीट करने व गाली गलौच करना व वादी के पुत्र हर्ष को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 40/2026 धारा 333/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण ***1.सुभाष पुत्र कालूराम 2.मोनू पुत्र सुभाष 3.सोनू पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को मंगलौर बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक सब्जी काटने वाला चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सुभाष पुत्र कालूराम नि0 ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. मोनू पुत्र सुभाष नि0 ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. सोनू पुत्र सुभाष नि0 ग्राम तल्हैडी खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त 01 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. का0 16 पवन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. का0 1835 संदीप चिकारा थाना देवबन्द सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत माल मुकदमाती कुल 25 वाहनों की नीलामी कराकर कुल 1,29,800/- रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में तथा उपजिलाधिलाकारी नकुड महोदय, क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री अशोक कुमार सिसोदिया के कुशल नेतृत्व में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री भूपेन्द्र कुमार व हैड मौहर्रिर 45 गजे सिंह की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना तीतरो में खड़े कुल 25 वाहन माल मुकदमाती (03 चार पहिया व 22 दो पहिया) वाहनों, जिनका न्यूनतम मूल्यांकन आरटीओ कार्यालय द्वारा कुल 93,400/- रूपये की धनराशि के रूप निर्धारित किया गया था । निर्धारित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार थाना तीतरो परिसर में खड़े 25 माल मुकदमाती वाहनों की नीलामी हैड मोहर्रिर गजे सिंह की मौजूदगी में कराया गया । जिसमें कुल 15 बोली दाताओं द्वारा भाग लिया गया । **वाहनो की नीलामी में 1,10,000/- रुपये में सर्वाधिक बोली दाता श्री सलीम पुत्र इस्लाम निवासी देवबन्द जिला सहारनपुर** द्वारा लगायी गयी तथा दूसरे नम्बर पर नौशाद अहमद पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी खान आलमपुर जिला सहारनपुर द्वारा 1,06,000/- रुपये बोली गयी । **नीलामी की कुल धनराशि का 18 प्रतिशत जीएसटी 19,800/- रुपये सहित कुल धनराशि 1,29,800/- राज कोष में जमा की जायेगी ।**

नीलामी हुए वाहनों का विवरणः-

- 22 वाहन (दो पहिया)
- 03 वाहन (चार पहिया)

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री भूपेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।
3. हैड मोहर्रिर 45 गजे सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।

दिनांक: 20.01.2026

-प्रेस नोट-

□ सहारनपुर पुलिस की अपराधियो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही — धारा 107 बीएनएसएस में सम्पत्ति कुर्क □

थाना नानौता पुलिस द्वारा जय एग्रो बायो साईन्स प्रा0लि0 कम्पनी के माध्यम से किसानों के साथ जैविक खाद प्लांट लगाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले 04 अभियुक्तों द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति 01 गाडी XUV700 व 6 लाख रुपये को कराया कुर्क

कार्यवाही —

□ *अपराधी द्वारा **धारा 107 बीएनएसएस के तहत अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति जब्त** की गई।*

□ ***₹20 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति व नगदी कुर्क।***

□ *पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही।*

□ *अपराधियों में भय पैदा करने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अभियान ।*

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति को जब्त करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत नानौता पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है ।

*आज दिनांक **20.01.2026** को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक **श्री नवीन कुमार सैनी** के कुशल नेतृत्व में **थाना नानौता पुलिस** द्वारा जय एग्रो बायो साईन्स कम्पनी के नाम से जैविक खाद प्लाट लगाने को लेकर लोगों से धोखाधडी करने वाले 04 अभियुक्तों जिनके विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338/340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस **पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त अभियुक्तों द्वारा धोखाधडी कर अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 107 बीएनएसएस की जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय मे रिपोर्ट प्रेषित करते हुए विवेचक व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह द्वारा सशक्त पैरवी की गयी जिस पर माननीय न्यायालय अपर सविल जज (जू0डि0)/जे0एम, देवबन्द सहारनपुर** ने अभियुक्तगण द्वारा अवैध रुप से **अर्जित चल सम्पत्ति/नगदी** जिसकी कुल **कीमत लगभग ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये)** है, को धारा 107 बीएनएसएस के तहत **कुर्क** किये जाने के आदेश पारित किये गये।*

*उपरोक्त कार्यवाही **थाना नानौता पर** पंजीकृत मु0अ0सं0 182/25 धारा 3(5)/318(4)/316(2)/338 /340(2)/336(3)/351(2)/61(2)ए बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही —*

अभियुक्तगण का विवरण —

- ***सुशील कुमार पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम विलासपुर थाना गंगोह सहारनपुर हाल न्यू आवास विकास कालौनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर***
- ***संजीव कुमार पुत्र बीरबल निवासी ग्राम बालू माजरा निवासी बडगांव जिला सहारनपुर***
- ***भंवर सिंह पुत्र महीपाल निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर***

- ***अमित धीमान पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा सहारनपुर***

उक्त अभियुक्तगण द्वारा जालसाजी/धोखाधडी जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर अवैध साधनों से अर्जित संपत्ति को ट्रेस कर नियमानुसार कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण–

1. *कार महिन्द्रा XUV 700 कीमत करीब 14 लाख रुपये*
2. *06 लाख रुपये नगद (घटना से सम्बन्धित)*

सम्पत्ति कुर्क कराने वाली पुलिस टीम

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 988 प्रदीप थाना नानौता जनपद सहारनपुर*

दिनांक: 20.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 11 लट्ठे शीशम व घटना में प्रयुक्त 01 बुलेरो पिकअप बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.01.2026 को श्री राजेन्द्र पुत्र कालूराम नि0 कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के खेत से शीशम का एक हरा पेड व एक सूखा पेड काट कर चोरी कर लेने के सम्बंध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 42/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण **1.हिमांशु पुत्र जनेश्वर 2.सिद्धार्थ पुत्र रावत कुमार निवासीगण भटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को कपूरी नहर से गिरफ्तार किया गया। अभि0गणो के कब्जे से 11 लट्ठे शीशम (08 गीले व 03 सूखे) व एक बुलेरो पिकअप न0 UK 08 CB 2895 बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. हिमांशु पुत्र जनेश्वर नि0 ग्राम भटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. सिद्धार्थ पुत्र रावत कुमार नि0 ग्राम भटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 11 लट्ठे शीशम (08 गीले व 03 सूखे)
- 01 बुलेरो पिकअप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. है0का0 1167 संजीव तालियान थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. का0 2076 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
4. का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. का0 2008 ऋषभ देशवाल थाना देवबन्द सहारनपुर।

दिनांक: 20.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वाछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 सरिया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.01.2026 को वादी राहुल कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी गली न0-01 राजोरी गार्डन थाना सदर बाजार, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहारीर बाबत अभियुक्तगण1. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर ।2. सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर व 12 अन्य अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के साथ गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नियत से डंडे लाठी व सरियों से मारपीट करना जिससे वादी गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 40/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/109/115(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2026 को चेंकिंग के दौरान थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 02 वांछित अभियुक्तगण ***1.अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 2. सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर*** *को काशीराम बस अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 सरिया बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. अभिषेक पुत्र सुरेन्द्र निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर ।
2. सचिन पुत्र राजकुमार निवासी रामनगर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण –

02 सरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना प्रभारी थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अमरिश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
3. उ0नि0 विकाश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।
4. का0 77 अरुण कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

दिनांकः 20.01.2026

-प्रेस नोट-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.04.2020 को वादी उप निरी0 श्री दीपचंद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. गुलबहार पुत्र अययूब नि0 ग्राम सिकंदरपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार के कब्जे से 210 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-187/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-539/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 20.01.2026 को गुलबहार पुत्र अययूब नि0 ग्राम सिकंदरपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-187/2020 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उप निरी0 श्री राजकुमार तोमर

पैरोकार का0- नितिन थाना फतेहपुर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक: **20-01-2026**

थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा व बाजार व स्कूल/कालेज से रास्ते मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम, नारी सुरक्षा एवं सम्मान को सुदृढ़ करने हेतु जनपद में लगातार मिशन शक्ति अभियान-5.0 चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2026 को गश्त व चैकिंग के दौरान थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा बाजार मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले मनचले अभियुक्त **गोविन्द पुत्र शिवकुमार नि0 ग्राम रसूलपुर थाना इन्द्री करनाल हरियाणा** को मैटाडोर स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 42/26 धारा 296 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

अभियुक्त का नाम व पताः-

गोविन्द पुत्र शिवकुमार नि0 ग्राम रसूलपुर थाना इन्द्री करनाल हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 केरन सिह थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
2. *है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
3. *म0है0का0 1179 प्रीति थाना गंगोह जिला सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: **20-01-2026**

थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा व बाजार व स्कूल/कालेज से रास्ते मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम, नारी सुरक्षा एवं सम्मान को सुदृढ़ करने हेतु जनपद में लगातार मिशन शक्ति अभियान-5.0 चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2026 को गश्त व चैकिंग के दौरान मिशन शक्ति/एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा स्कूल/कालेज से रास्ते मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त ***रिजवान पुत्र रियासत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना तीतरो जिला सहारनपुर*** *को सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 41/26 धारा 296 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उक्त मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नही है ।*

अभियुक्त का नाम व पताः-

रिजवान पुत्र रियासत नि0 ग्राम चन्दपुरा थाना तीतरो जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *म0उ0नि0 खूशबु थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
2. *म0का0 502 अन्नू तोमर थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
3. *म0का0 2126 मनीषा चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: **20-01-2026**

<u>थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा व बाजार व स्कूल/कालेज से रास्ते मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम, नारी सुरक्षा एवं सम्मान को सुदृढ़ करने हेतु जनपद में लगातार मिशन शक्ति अभियान-5.0 चलाया जा रहा है, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.01.2026 को गश्त व चैकिंग के दौरान मिशन शक्ति/एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा शोभित यूनिवर्सिटी तिराहे गंगोह बाई पास पर बाजार व स्कूल/कालेज से रास्ते मे आने जाने वाली महिलाओं व छात्राओं पर अश्लील फब्तियां कसने वाले 01 मनचले अभियुक्त **अंकित पुत्र वेदपाल नि0 ग्राम रसूलपुर थाना इन्द्री करनाल हरियाणा** को यूनीवर्सिटी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 296 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उक्त मुकदमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा पंजीकृत नही है।

<u>अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

अंकित पुत्र वेदपाल नि0 ग्राम रसूलपुर थाना इन्द्री करनाल हरियाणा।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 देशराज सिह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. म0का0 79 संगीता थाना गंगोह जिला सहारनपुर।